

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 15 मार्च 2014—फाल्गुन 24, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2014

फा. क्र. 21(7)-चार-2014-184.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचनाएं क्रमांक 434-MP-HP-2014, दिनांक 14 मार्च 2014 एवं 434-MP-HP-2014, दिनांक 14 मार्च 2014 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं।

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 2014, 23 फाल्गुन, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं. 434-म.प्र.-लो.स. 2014.—भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए

सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2014 की अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-लो.स.-2014 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 119-नरसिंहपुर के सामने स्तम्भ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

सारणी

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम
(1)	(2)	(3)
17-होशंगाबाद	119-नरसिंहपुर	डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर

आदेश से,
हस्ता.
(बर्नाड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 14th March, 2014, 23 Phalgun, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 434-MP-HP-2014.—The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434-MP-HP-2014, dated 24th February 2014 relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Madhya Pradesh State:—

2. In the Table appended to the said Notification, for the existing entry in column (3) against item No. 119-Narsingpur in column (2), the following entry shall be substituted:—

TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency (1)	No. & Name of Assembly Constituency (2)	Designation of Assistant Returning Officer (3)
17-Hoshangabad	119-Narsingpur	Deputy Collector, Narsingpur

By order,
Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001
नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2014, 24 फाल्गुन, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं. 434-म.प्र.-लो.स. 2014.—भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2014 की अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-लो.स.-2014 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 63-सतना तथा 69-सेमरिया के सामने स्तम्भ (3) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

सारणी

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम (1)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (2)	सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम (3)
09-सतना	63-सतना	अपर कलेक्टर (विकास), सतना
10-रीवा	69-सेमरिया	संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर, रीवा

आदेश से,
हस्ता,
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001
New Delhi, Dated 15th March, 2014, 24 Phalgun, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 434-MP-HP-2014.—The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434-MP-HP-2014, dated 24th February, 2014 relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Madhya Pradesh State :—

2. In the Table appended to the said Notification, for the existing entries in column (3) against item No. 63-Satna and item No. 69-Semariya in column (2), the following entries shall be substituted :—

TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency (1)	No. & Name of Assembly Constituency (2)	Designation of Assistant Returning Officer (3)
09-Satna	63-Satna	Additional Collector (Development), Satna.
10-Rewa	69-Semariya	Joint/Deputy Collector, Rewa.

By order,
Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.